



2026: AHC: 28741

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - बी संख्या - **545** वर्ष **2026**

साकिर अली एवं 2 अन्ययाचिकाकर्तागण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 11 अन्यप्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: चिंता मणि, राजीव कुमार

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 55

माननीय न्यायमूर्ति चंद्र कुमार राय

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और राज्य-प्रतिवादियों की ओर से विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मृदुल कुमार को सुना गया।
2. तत्काल रिट याचिका निम्नलिखित राहतों के लिए दायर की गई है:-

"क. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो प्रतिवादी संख्या 2 को द्वितीय अपील संख्या **5861/2025** (साकिर अली और अन्य बनाम अनीस मोहम्मद और अन्य) में लंबित स्थगन आवेदन पर विचार करने और वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के तहत इस माननीय न्यायालय द्वारा उचित समझी गई निर्धारित अवधि के भीतर निर्णय लेने का आदेश दे।

ख. परमादेश की प्रकृति में एक रिट, आदेश या निर्देश जारी करें, जो प्रतिवादी अधिकारियों, विशेष रूप से प्रतिवादी संख्या 3 को राजस्व ग्राम पासनरा टप्पा, गोपालपुर, परगना बांसी

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



पूरब, जिला संतकबीर नगर में स्थित गाटा संख्या 18 के संबंध में मौके पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दे, जब तक कि राजस्व परिषद उ.प्र. इलाहाबाद के समक्ष द्वितीय अपील संख्या 5861/2025 (साकिर अली और अन्य बनाम अनीस मोहम्मद और अन्य) लंबित है।"

3. याचिकाकर्ताओं के अधिवक्ता का कहना है कि विभाजन के बाद से उत्पन्न याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर द्वितीय अपील, राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है। उन्होंने तर्क दिया कि द्वितीय अपील पर 8.1.2026 को सुनवाई हुई थी और आदेश सुरक्षित रखा गया था, लेकिन बाद में संबंधित सदस्य, राजस्व परिषद द्वारा मामले को मुक्त कर दिया गया है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि निजी प्रतिवादी प्रश्नगत भूखंड के संबंध में याचिकाकर्ताओं के कब्जे में हस्तक्षेप कर रहे हैं, इसलिए मामले में अंतरिम संरक्षण की आवश्यकता है। उन्होंने निवेदन किया कि राजस्व परिषद को उपरोक्त द्वितीय अपील में स्थगन आवेदन को समयबद्ध अवधि के भीतर तय करने का निर्देश दिया जाए।
4. मैंने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिए गए तर्कों पर विचार किया है और अभिलेखों का अवलोकन किया है।
5. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि स्थगन आवेदन के साथ याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर द्वितीय अपील राजस्व परिषद के समक्ष लंबित है, लेकिन आज तक राजस्व परिषद द्वारा द्वितीय अपील स्वीकार करने पर कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
6. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह याचिका प्रतिवादी संख्या 2 / राजस्व परिषद, उ.प्र. प्रयागराज को इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि वह संबंधित प्राधिकारी के समक्ष इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तिथि से, कानून के अनुसार संबंधित पक्षों को सुनवाई का उचित अवसर प्रदान करने के बाद, यथासंभव शीघ्र, अधिमानतः 3 सप्ताह की अवधि के भीतर द्वितीय अपील के प्रवेश पर आवश्यक आदेश पारित करे। यह आगे निर्देशित किया जाता है कि अपील स्वीकार होने के बाद, कानून के अनुसार उक्त अवधि में द्वितीय अपील के प्रवेश के अधीन रहते हुए, अंतरिम राहत की प्रार्थना पर राजस्व परिषद द्वारा विचार किया जाएगा।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



10 फरवरी, 2026

सी. प्रकाश

(चंद्र कुमार राय, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"